

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

378

(1)

द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम0पी0 वाद संख्या-228/2019

प्रथम पक्ष :-

1. राजेन्द्र मंडल पिता स्व0 ज्योति मंडल 2. करम चन्द्र मंडल पिता स्व0 शशी मंडल सा0 नारायणपुर, थाना पिण्ड्राजोरा, 3. शक्ति पद मंडल पिता स्व0 गोउर मंडल सा0 तेलमटिया 4. किरीती मंडल पिता स्व0 लालु मंडल सा0 तेलमटिया थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो।

-: बनाम :-

द्वितीय पक्ष :-

1. वरुण मंडल पिता स्व0 पानू डल 2. संजय मंडल पिता स्व0 अर्जुन मंडल 3. तपन मंडल पिता स्व0 गोपाल मंडल सभी ग्राम तेलमटिया थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो।

कार्यवाही

पिण्ड्राजोरा, थाना अप्राथमिकी संख्या 40/19 जो पुलिस निरीक्षक चास (मु0) अंचल से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है, जिससे कभी भी विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने दोनों पक्ष के विरुद्ध द0प्र0स0 की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्ष के विरुद्ध धारा 107 द0प्र0स0 की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनों पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 7/8/19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का बन्ध-पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

30/8/19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

7/8/19

सूचना का तालिका प्राप्त।

द्वि पक्ष के बीच सद्व्यवस्था का ध्यान रहे।

द/ल हेतु समय का आदेश है।

प्रथम पक्ष 2, 3 & 4 (उप.)।

उभय पक्ष द/ल दारिद्र्यपूर्ण 30/8/19 का रखें

(30)

30/8/19

30/8/19

द्वि पक्ष के बीच सद्व्यवस्था का ध्यान रहे।

द/ल हेतु समय का आदेश है।

माननीय उच्च न्यायालय काठ संजी का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिका के अख्तियारिक निष्पत्ति के कारण न्यायिक कार्य रहे अलग रहे।
दिनांक 28/9/19 का रखें

S. Chid

19/10/19 प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजिरी एक सदस्य का धारा 115 का आवेदन दाल हेतु समय का आवेदन है
द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हाजिरी एक सदस्य का धारा 115 का आवेदन है दाल हेतु समय का आवेदन है

दिनांक 30/10/19 को रखी.

S.O.M
Chas

30/10/19 प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजिरी है एक सदस्य का धारा 115 का आवेदन है दाल हेतु समय का आवेदन है द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हाजिरी है तथा दाल दायजिल किया गया।
दिनांक 27/11/19 को रखी

S.O.M
Chas

27/11/19 प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हाजिरी है एक सदस्य का धारा 115 का आवेदन है जिस . . . किया जाता है दाल हेतु समय का आवेदन है द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हाजिरी है
दिनांक 27/11/20 को रखी

S.O.M
Chas


27/11/20 प्रथम पक्ष के चार सदस्य का हाजिरी है तथा दाल दायजिल।
द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हाजिरी है।
All parties present.

1st party

- dispute related to land dispute.

~~land is of 5 khar +~~

... name by 2nd party leading to dispute.



20/11/20
BSPG

आदेश और पदाधिकारी का हरताक्षर

2
आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

1st party

- Panchayat held already but no compliance
- verbal abuse only.
- 1st party beat up stick with stick.

2nd party version

- there is no dispute verbal altercation

6

First party cannot properly explain the physical and verbal altercation. Case is dropped Both parties to maintain peace

Ych
22/11/20

20/11/20